

1

फर्द अहकॉम

नियम (26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी गु. बाड़मेर चमुकाग बाड़मेर

लीखाराम

चणाम

श्रीजा

किस्म मुकदमा 1.91.88.53.188 मुकदमा नम्बर 402 / 2009

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

4-12-05

प्रार्थी/वादी/अपीलान्त के वकील श्री ~~...~~ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 28, 52, 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम भू-संजस्य अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी / प्रतिवादी / रसेसेन्ट जरिये नोटिस/सामन तालय होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 1.1.10 को पेश हो।

सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी) मुख्यालय-बाड़मेर

1757

4/12/09

18/1/10

पत्रावली आज पेश हुई। बकूलाम पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी कीदर का में व्यस्त हैं मिसल ईस्तवा होकर दिनांक - 16.4.10 को पेश हो।

Handwritten signature

16.4.10

वादी वकील उप.। प्रतिवादी से. 1 के तरफ से वकील के वक्त लिखल ने कलम से केज जो ग्रामिक सिपल हो प्रतिवादी से. 2 के सामन का बतपल केर परजली शक्ति 7.5-10 को से ही

Handwritten signature

7.5.10

पत्रावली आज पेश हुई। चमुकाग... आज... में... 29.6.10 को पेश हो।

Handwritten signature



124

दि 25/03/24 को अज्ञात होने के कारण
पतावली तक पेश हुई। होने पक्षों के
बीच उपस्थिति की ल प्रतिकारी जमान
इस लक्ष को अज्ञात मानते हैं। कतिपय
नसल पता जाता है पतावली निम्न
प्राप्ति के पेश है

[Handwritten signature]

04.04.24

पतावली काज पेश हुई। वक्तुलाय
पक्षकारान अनुपस्थित। पक्षकारान
को मय अज्ञेयता कोटि समय में
तीन बार तीन-तीन राजाके डिप्लोम
गई। आवच्छ राजाके डिप्लोम के
पक्षकारान व पक्षकारान के अज्ञेयता
अनुपस्थित। नतः उक्त उक्तान
प्रकरण पक्षकारान की अज्ञ-
हामी व अज्ञ पौरवी प्रकरित
किता जाता है। पतावली निर्णय
सुकार होकर अज्ञेय इफतर है।

[Handwritten signature]